

TENDER DOCUMENT

For

**“Miscellaneous electrical works for
enhancement of electrical load at CPCB
RD Pune office”**



**Central Pollution Control Board
Regional Directorate, Pune
Survey No. 110, Dhankude Multipurpose Hall,
Baner road, Baner, Pune- 411045**

CONTENTS

NOTICE INVITING TENDER

LETTER SUBMITTING TENDER

BILL OF QUANTITIES

ARTICLES OF AGREEMENT

CONDITIONS OF CONTRACT

SETTLEMENT OF DISPUTE & ARBITRATION

APPENDIX

NOTICE INVITING TENDER

1. The Regional Director, Central Pollution Control Board (CPCB), Regional Directorate, Pune invites e- tenders in two bid system for “**Miscellaneous electrical works for enhancement of electrical load at CPCB RD Pune office**” from the approved and eligible enlisted contractor of Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL)/Central Public Works Department (CPWD)/or any other government agency. The details are as below:

| S.N | NIT No. | Name of work and location | Estimated cost put to bid | Earnest Money | Period of completion | Last date and time of submission of technical and financial bid | Time and date of opening of technical bid |
|-----|---|---|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---|
| 1. | LB-99/1/2022-LAB-RD-PUNE-RD (Pune)-Part (1)/ Dated 17.02.2025 | “ Miscellaneous electrical works for enhancement of electrical load at CPCB RD Pune office ” | 9,61,244/- | 19,225/- | 30 days from the issue of work order | 18.03.2025 upto 04:00 pm | 19.03.2025 at 04:00 pm |

The EMD to be submitted as Demand Draft/FDR in favour of the Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Pune. The EMD has to be submitted in original in the tender box kept at Reception of Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Pune, Survey No. 110, Dhankude Multipurpose Hall, Baner road, Baner, Pune- 411045 and a scanned copy to be uploaded with tender document.

2. The tender document can also be downloaded from CPCB website www.cpcb.nic.in.

3. DOCUMENTS REQUIRED TO BE ATTACHED IN THE TECHNICAL BID:

Only those contractors who fulfil the following requirements shall be eligible to apply.

Similar work shall mean “Miscellaneous electrical works”.

- a. Should have satisfactorily completed the similar works as mentioned below during the last 7 years ending on 31.03.2024.
Three similar works each costing not less than Rs. 3.85 Lacs
OR
Two similar works each costing not less than Rs. 4.81 Lacs
OR
One similar works each costing not less than Rs. 7.69 Lacs
- b. Should have valid registration in MSEDCL/CPWD/or any other government agency in appropriate category and should have valid GST registration and PAN number.
- c. Affidavit certifying that the contractor/firm has not been involved in any criminal case and has not been blacklisted in any Govt./ semi Govt. organization (Affidavit should be in non-Judicial Stamp Paper and certified by Notary Public) during last 03 years.
- d. Signed copy of tender document

Self-attested copies of the above documents are to be uploaded in technical bid in folder a to c, failing which the tender will be rejected.

4. MODE OF SUBMISSION OF TENDER

The tender shall be submitted online only at CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> latest by 16.00 Hrs. on 18.03.2025. Late submission of tender will be rejected. The same will be opened 16.00 Hrs. on 19.03.2025. Tenderer/Contractor are advised to follow the instructions "Instructions To Bidder for Online Bid Submission" provided in the Annexure "A" for online submission of bids. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

5 OPENING OF TENDER

The tender i.e. technical bid will be opened in Conference Hall, Second Floor, CPCB, RD Pune at 16.00 hrs on 19.03.2025. The bidders have the liberty to be present either in person or through an authorized representative at the time of opening of the tenders. **The financial bid of only those tenderers will be opened whose technical bid are found to be acceptable.**

In the event of more than one bidder becomes L1, the Competent Authority in CPCB RD, Pune reserves the right to select one of the L1 bidders based upon various norms like quality of work experience, number of years in operation and other credentials like work completion certificate of any Central Government / State Government Undertaking /Organisation etc.

6. The site for the work is available/or the site for the work shall be made available for inspection on all working days except on Saturday, Sunday and Public Holidays.
7. The contractor should quote rate and amount in the figures as well as in words. The amount for each item should be worked out and the requisite totals given.
 - b) Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words, and the amounts in figures only in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words. In case of figures, "Rs." should be written before the figures of rupees and "P" after the decimal figures, e.g. Rs. 2.15 P and in case of words, the word 'Rupees' should precede and the word "Paise" should be written at the end. Unless the rates is in only rupees and followed by the words 'only' it should invariably be upto two decimal place. While quoting the rate in schedule of quantities, the words 'only' should be written closely following the amount and it should not be written in the next line.
 - c) Rates quoted by the contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with an amount worked out by the contractor shall be taken as correct.
 - d) If the amount of an item is not worked out by the contractor it does not correspond with the rate written either in figure or in words than the rate quoted by the contractor in words shall be taken as correct.
 - e) Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally but the amount is not worked out correctly the rate quoted by the Contractor will be taken as correct and not the amount.
8. The contractor, whose tender is accepted, will be required to furnish Performance Guarantee at the rate of 5% of the contract value for the fulfillment of his contract.

The earnest money deposited at the time of tenders will be released after the submission of Performance Guarantee.

The Performance Guarantee will be released after the 'defects liability period' subjects to verification of defects.

9. The acceptance of a tender rests with the CPCB, which does not bind itself to accept the lowest tender and reserves itself the authority to reject any or all of the tenders received without assigning any reason. All tenders in whom any of the prescribed conditions are not fulfilled or are incomplete in any respect are liable to be rejected.

CPCB reserves itself the right to accept the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rate quoted.

10. Canvassing in any form in connection with tender is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to be canvassing will be liable to rejection.
11. All rates to be quoted in the proper form in the tender.
12. Any item rate tender containing percentage below/above will be summarily rejected. However, where a tenderer voluntarily offers rebate or payment within a stipulated period, this may be considered.

13. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative (s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from CPCB shall be communicated to the CPCB.
14. GST or any other tax or liability in respect of this contract shall be payable by the contractor and CPCB will not entertain any claim whatsoever in this respect.
15. **The tender for works shall remain open for acceptance for a period of 01 months from the date of opening of tenders. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to CPCB, without prejudice to any other right or remedy, CPCB will be at liberty to go for forfeiting the earnest money absolutely of the tenderer.**
16. It will be obligatory on the part of the tenderer to tender and sign the tender documents for all the components or parts and that after work is awarded, he will have to enter into an agreement for each component or part with CPCB.
17. The contractor should see the site and understand the work requirements and in case of doubt, obtain required particulars, which may in any way influence his tender, from the CPCB as no claim whatsoever will be entertained for any alleged ignorance thereof.
18. If it is found that the tender is not submitted in proper manner or contains too many corrections or absurd rates or amounts, it would be summarily rejected by CPCB.
19. The bidder is advised to visit the site of work, at his own cost, and examine it and its surroundings to himself collect all information that he considers necessary for proper assessment of the prospective assignment.
20. The Contractor shall comply with the provision of the Apprentices Act, 1961, and the rules and orders issued there under from time to time. If fails to do so, his failure will be breach of the contract and the CPCB may in his discretion cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the Act.
21. **In case of any misshaping/accident during the execution of the work or any damage to the CPCB property, the contractor is liable to pay the damages to CPCB or compensation to the workers.**
22. The contractor's responsibility for the contract shall commence from the date of issue of orders of acceptance of tender.
23. Specifications to be followed for execution of work: Electricals with correction slip issued up to date.
24. Before tendering, the contractor shall inspect the site to get fully acquaint himself about the condition in regard to accessibility of site and nature of ground, working condition including stacking of materials, installations of T & P etc. conditions affecting accommodation and movement of labour etc. required for the satisfactory execution of the work contract. No claim whatsoever on such account shall be entertained by the department in any circumstances.

25. Requirement of Technical Representative(s) and recovery Rate: -

| S. N | Designation | Discipline | Minimum qualification | Minimum Experience | Number | Rate of recovery at following rates in case of non-compliance | |
|------|----------------|--------------------|--|--------------------|--------|---|--------------------------------|
| | | | | | | Figure | Word |
| 1. | Site in-charge | Elect Engg. | Graduated Engineer or Diploma Engineer | 2 years 5 Year | One | 15000/- per month | Rs. Fifteen Thousand per month |

26. The contractor shall submit list of works which have been handled by him in the previous financial year and on the works in hand (progress) in the format as given below:

Works Handled in the Previous Financial Year (2023-24)

| Name of work | Name and particulars of place where work was done | Value of work | Position of works (In progress/completed) | Remarks |
|--------------|---|---------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Works in Hand in the Current Financial Year (2024-25)

| Name of work | Name and particulars of place where work was done | Value of work | Position of works (In progress/ completed) | Remarks |
|---------------------|--|----------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

27.PMC charges for road repairing will be paid as per actual to PMC by CPCB.

28.The charges for installation of electric meter of appropriate capacity will be paid separately to MSEDCL by CPCB.

29.No advance payment will be made, the payment will be released only after satisfactory completion of the work and submitting the bills in three copies.

30.As the work for laying the cable is to be carried out outside road/nearby society campus, therefore all the digging/repairing works should be made carefully and the same should be repaired in the original position and as per the satisfaction of the society/PMC.

31.The works has to be completed under the supervision and to the satisfaction MSEDCL. The applicable supervision charges will be paid directly to MSEDCL by CPCB.

LETTER SUBMITTING TENDER

To
The Regional Director
Central Pollution Control Board,
Regional Directorate, Pune,
Survey No. 110, Dhankude Multipurpose Hall,
Baner road, Baner, Pune- 411045

Sir,

With reference to the tender invited by you for “**Miscellaneous electrical works for enhancement of electrical load at CPCB RD Pune office.**” I/We do hereby offer to execute the works under ‘contract at the respective rates’ mentioned in the Bill of Quantities. I/We have seen the site and read the articles of agreement, conditions of contract, specifications and special clauses forming part of the Bill of Quantities. I/We agree to finish the whole of the works within three months as specified in the tender.

I/We have deposited as Earnest Money Rs..... (Rupees Only) in the form of Bank draft in favour of Central Pollution Control Board, which amount, is not to bear any interest. I / We do hereby agree that this sum shall be forfeited by you in the event our tender is accepted and I /We fail to commence the contract when called upon to do so, within a period of 15 days after award of work.

I/We understand that you are not bound to accept the lowest or any tender that you receive.

Yours faithfully,

Name of partners of the firm

Name of Bankers

Tenders submitted on

BILL OF QUANTITIES

| S. No. | Description of Items | Qty. | Unit |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 1 | Supplying of one number XLPE insulated stranded aluminium conductor, armoured, power cable of 1.1 KV grade conforming to IS:7098, Part-1, of following size as required. | | |
| a) | 3.5 x 120 sqmm | 40.00 | mtr |
| b) | 3.5 x 240 sqmm | 240.00 | mtr |
| 2 | Laying of one number PVC insulated and PVC sheathed / XLPE power cable of 1.1 KV grade of following size direct in ground including excavation, sand cushioning, protective covering and refilling the trench etc as required. | | |
| a) | Above 185 sq. mm and upto 400 sq. mm | 240.00 | mtr |
| 3 | Laying of one number PVC insulated and PVC sheathed / XLPE power cable of 1.1 KV grade of following size in the existing RCC/ HUME/ METAL pipe as required. | | |
| a) | Above 185 sq. mm and upto 400 sq. mm | 40.00 | mtr |
| 4 | Supplying and making end termination with brass compression gland and aluminium lugs for following size of PVC insulated and PVC sheathed / XLPE aluminium conductor cable of 1.1 KV grade as required. | | |
| a) | 3½ X 120 sq. mm (45mm) | 2.00 | set |
| b) | 3½ X 240 sq. mm (62mm) | 2.00 | set |
| 5 | Supplying and laying of following size DWC HDPE pipe ISI marked along with all accessories like socket, bend, couplers etc. conforming to IS 14930, Part II complete with fitting and cutting, jointing etc..direct in ground (75 cm below ground level) including excavation and refilling the trench but excluding sand cushioning and protective covering etc., complete as required. | | |
| a) | 120 mm dia (OD-120 mm & ID-103 mm nominal) | 240.00 | Mtr. |
| 6 | Earthing with G.I. earth plate 600 mm X 600 mm X 6 mm thick including accessories, and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe of 2.7 metre long etc. with charcoal/ coke and salt as required. | 2.00 | Set |
| 7 | Providing and fixing 25 mm X 5 mm G.I. strip on surface or in recess for connections etc. as required. | 10.00 | Mtr. |
| 8 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of MSEDCL approved powder coated plain LT Feeder pillar (400A * 4way) | 1.00 | Nos. |
| 9 | Repairing of concrete /soil /paver block (including labour chrges) 1:3:6 (1 Cement: 3 coarse sand (zone-III) derived from natural sources: 6 graded stone aggregate 20 mm nominal derived from natural sources (300 mm X 600 mm) | 250.00 | Mtr. |

Note:

1. PMC charges for road repairing will be paid as per actual to PMC by CPCB.
2. The charges for installation of electric meter of appropriate capacity will be paid separately to MSEDCL by CPCB.

ARTICLES OF AGREEMENT

Made at this day of
between.....

.....(hereinafter referred to as the Employer which expression shall include his, Executors, Administrators and Assigns) of the other part WHEREAS the employer is desirous of "Miscellaneous electrical works for enhancement of electrical load at CPCB RD Pune office."

WHEREAS the said single line diagram and the specifications and the priced schedule of quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto and WHEREAS the contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions at forth herein (hereinafter referred to as "the conditions") the work shown upon "the said Single Line Diagram" and described in "the said specifications" and the said "Priced Schedule of Quantities"

At the respective rates mentioned in the priced Schedule of quantities attached.
and WHEREAS the contractor has deposited Rs..... Rupees) with the employer for the performance of the Agreement.

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. In consideration of the payments to be made to the contractor as hereinafter provided he shall upon and subject to the said conditions execute and complete the works shown upon the said single line diagram and such further detailed single line diagram as may be furnished to him by the said Architects and described in the specifications and the said priced schedule of quantities.
2. The employer shall pay the contractor such sums as shall become payable hereunder at the time and in the manner specified in the said conditions.
3. The plans, agreements and documents mentioned above shall form the basis of this contract and the decision of the said employer as mentioned in the conditions of contract with reference to all matters of dispute as to the material, workmanship or account and as to the intended interpretation of clauses of this agreement or any other document attached hereto shall be final and binding on both parties and shall be made a rule of court.
4. The said contract comprises the above mentioned buildings and all subsidiary works connected there within the same site as may be ordered to be done from time to time by the said employer even though such works may not be shown on the single line diagram or described in the said specifications or the priced schedule of quantities.
5. The said conditions and special conditions, specifications, schedule of quantities, wage schedule of labour and schedule of materials to be supplied by the employer and guarantee bond shall be read with construed forming part of this agreement and the parties hereto will respectively abide by and submit themselves to the conditions and stipulation and perform the agreements on their parts respectively in such conditions contained.
6. The Employer reserves to himself the right of altering the drawings and nature of the work and of adding to or omitting any items of work or of having portions of the same carried out departmentally or otherwise and such alternations or variations shall be carried out without prejudice to this contract.
7. All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed to have arisen in Pune and courts in Pune shall have jurisdiction to determine the same.
8. The several parts of this contract have been read by us and fully understood by us. As witness our hands this day of

Signed by the said

in the presence of witnesses

employer

1. Signed by the said

2. _____
In the presence of

CONDITIONS OF CONTRACT

1. Interpretations

In Construing these conditions, the specifications, the priced schedule of quantities, tender and agreement, the following words shall have the meanings herein assigned to them except where the subject or contact otherwise required:-

“Employer” shall mean Central Pollution Control Board And his (their) heirs, legal representatives, assigns and successors.

“ Contractor” shall mean

..... and his (their) heirs, legal representatives, assigns and successors.

“Site” shall mean the site of the contract works as shown bounded on the site plan attached hereto including any buildings and erections thereon and any other land adjoining thereto (inclusively) as aforesaid allotted by the Employer for the Contractor’s use.

“This Contract” shall mean the Articles of Agreement, special conditions, these conditions, the priced schedule of quantities, the specifications, and the appendix and the single line diagram, additional instructions issued till the receipt of the tender and subsequently correspondence if any till the date of acceptance of tender, and the letter of acceptance of contract.

“Act of Insolvency” shall mean any act of Insolvency as defined by the Presidency town Insolvency Act, or the provincial act or any amending statute.

“Notice in writing” or written notice shall mean a notice typed or printed characters sent (unless delivered) personally or otherwise provide to have been received by registered post to the last known private or business address or registered office of the addressee and shall be deemed to have been received when in the ordinary course of post it would have been delivered.

“Virtual completion” shall mean that building is in the opinion of Employer fit for occupation.

“Words imputing persons” include firms and corporations. Words imputing the singular only also include plural and vice versa where the context so required.

2. Scope of work

The contract in brief covers “Miscellaneous electrical works for enhancement of electrical load at CPCB RD Pune office.” The contractor shall carry out and complete the works in every respect in accordance with this contract and in accordance with the directions and to the satisfaction of the employer. The employer in their absolute discretion from time to time issue further single line diagram and / or written instructions, details, directions and explanations which are hereafter collectively referred to as the “Employer’s Instructions” in regard to:-

- a) The variation or modification of the design, quality of works or the additions or omission or substitution of any work.
- b) The removal from the site of any materials brought there on by the contractor and the substitution of other materials therefore.
- c) The removal and/or re-execution of any works executed by the contractor.
- d) The dismissal from the works of any persons thereupon.
- e) The opening up for inspection of any work covered up.
- f) The amending and making good of any defects under clause (12)

5. Authorities, Notice and Patents

The contractor shall confirm to the provisions of any acts of the legislature relating, to the works and to the regulations and bye-laws of any authority, and of any water, lighting and other companies and /or authorities with whose system the structure is proposed to be connected, and shall, before making any variations from the single line diagram or specifications that may be necessitated by so confirming give to the Employer written notice, specifying the variation proposed to be made and the reason for making it, and apply for instructions, thereon. In case the contractor shall not within in seven days receive such instruction he shall proceed with the work confirming with the provisions, regulations or bye-laws in question.

The contractor shall arrange to give all notice; required by the said acts, regulations or bye-laws to be given to any authority, and to pay to such authority, or to any public officer all fees that may be properly chargeable in respect of the works, and lodge the receipts with the employer.

The contractor shall identify the Employer against all claims in respect of patent rights and shall defend all actions arising from such claims unless he has informed the employer before any such infringement received their permission to proceed and shall himself pay all royalties license fees, damages, coasts and charge of all and every sort that may be legally incurred in respect thereof.

6. Access

The employer, their representative shall at all reasonable times have free access to the work and / or to the workshop factories, or other places where materials are being prepared or construct the contract and also to any other place

where the materials are lying or from which they are being obtained, and the contractor shall give every facility to Employer and their representative necessary for inspections and examinations and tests of the materials and workmanship. Except the representatives of public authorities, no person shall be allowed on the works at any time without the written permission of the employer.

If any work is to be done at the place other than the site of works, the contractor shall obtain the written permission of the employer for doing so. The work during the progress / on completion can also be inspected by the employer.

7. Dismissal of workmen

The contractor shall on the request of the employer immediately dismiss from the works any person employed thereon who may, in the opinion of the employer, be unsuitable or incompetent or who may misconduct himself, and such person shall not be again employed or allowed on the work without the permission of Employer.

8. Date of Commencement and completion

The contractor shall be allowed admittance to the site on the "Date of commencement" stated in the Appendix, and he shall thereupon and forthwith begin the works and shall regularly proceed with and complete the same on or before the "Date of Completion" stated in the Appendix subject nevertheless to provisions for extension of time hereinafter contained.

The time being the essence of contract, the contractor will adhere to time and progress chart and will give proportionate progress in proportionate time i.e. 1/8th of work in 1/4th of the time, 3/8th of the work in 1/2 of the time and 3/4th of the work in 3/4th of the time and commensurate with the progress as envisaged in the bar chart based on the analogy had accepted by the employer. In case of failure on the part of the contractor to give proportionate progress in proportionate time then the employer may recover by way of liquidated damages the amount calculated as described in the appendix shall however be refunded in case the individual items and the entire works are completed by the target dates, as decided by the employer, whose decision shall be binding.

9. Assignment

The whole of the works included in the contract shall be executed by the contractor and the contractor shall not directly or indirectly transfer, assign or underlet the contract or any part, share interest therein nor shall he take a new partner without the written consent of the employer, and no subletting shall relieve the contractor from the full and entire responsibility of the contractor or from active superintendence of the work during its.

10. Schedule of quantities

The schedule of quantities unless otherwise stated shall be deemed to have been prepared in accordance with the method of measurement mentioned in the specifications and shall be considered to be approximate and no liability shall attach to the employer for any error that may be discovered therein.

11. If in the opinion of the employer the work be delayed

- a) By force of nature such as incessant rain, flood, fire and like natural calamities or
- b) Reason of any exceptionally inclement of weather or
- c) By reason of proceeding taken or threatened by or dispute with adjoining or neighbouring owners or public authorities or
- d) By the works or delays of other contractor or tradesman engaged by the employer and not referred to in the schedule of quantities and /or specification or
- e) By reason of employer's instructions as per clause No.2 or
- f) By reason of civil commotion, local combination of workmen or strike or lockout affecting any of the building trades or
- g) By consequence of the contractor not having received in due time necessary instructions from the employer for which he shall have specially applied in writing or
- h) From other causes which the employer may certify as beyond the control of the contractor or
- i) In case of strike or lockout the contractor shall give written notice thereof to the employer, but the contractor shall nevertheless constantly use his endeavors to prevent delay and shall do all that may reasonably be required to the satisfaction of employer to proceed with the work. The employer shall make a fair and reasonable extension of time for the completion of the contractor work.

12. Damage for non-completion

If the contractor fails to complete the work by the date of completion stated in the appendix or within any extended time under clause 11 thereof and the employer certify in writing that in their opinion the same ought reasonably so to have been completed, the contractor shall pay or allow the employer the sum named in the appendix as "liquidated

Damaged” for the period during which the said works shall so remain incomplete and the employer may deduct such damage from any moneys due to the contractor.

13. Failure by Contractor to comply with employer’s instructions

If contractor after receipt of written notice from the employer requiring compliance, with such further drawings and / or employer’s instructions fails within seven days to persons to execute any such work whatsoever may be necessary to give effect thereto and all costs incurred in connection therewith shall be recoverable from the contractor by the employer as a debt or may be deducted by him from any moneys due to the contractor.

14. Certificate and payment

The contractor shall be paid by the employer from time to time by instalments under interim certificates to be issued by the employer to the contractor on account of the works carried when in the opinion of the employer work to the approximate value named in the appendix as value of works for interim certificates (less at the reasonable discretion of the employer) has been executed in accordance with this contract, subject however to a retention of the percentage of such value named in appendix hereto as “Retention percentage of interim certificates”. The employer may in their discretion include in the interim certificate such amount as per standard CPWD/MSEDCL procedure on account of material delivered upon the site by the contractor for use in the works.

And when the works have been virtually completed and the employer shall have certified in writing that they have been so complete the contractor shall be paid by the employer in accordance with the certificate to be issued by the employer the sum of money named in the appendix as ‘Instalment after virtual completion’ and the contractor shall be entitled to the payment of the final balance in accordance with the final certificate to be issued in writing by the employer at the expiration of the period referred to as “Defects Liability period” in the appendix hereto from the date of virtual completion or soon after the expiration of such period as the works shall have been finally completed and all defects made good according to the true intent and meaning hereof whichever shall last happen. Provided always that the issue of the employer of any certificate during the progress of the work set or after their completion shall not relieve the contract or from his liability in case of fraud, dishonesty or fraudulent concealment relating to the works or materials or to any matter dealt. Within the certificate and in case of all defects and insufficiencies in the works or materials which a reasonable examination would not have disclosed. No certificate of the employer shall of itself be conclusive evidence that any works or materials to which it relates are in accordance with the contract.

The employer shall have power to withhold any certificate if the works or any parts thereof are not being carried out to their satisfaction.

Payments on interim certificate shall be made within the period named in the appendix “Period of honoring Certificate” after such certificate have been delivered to the employer and vetted by the CPCB.

15. Certificate of Virtual completion

The works shall not be considered as completed until the employer have certified in writing that they have been virtually completed and the defects liability period shall commence from the date of such certificate.

16. Employer delay in progress

The employer may delay the progress of the works without vitiating, the contract and grant such extension of time for the completion of contract as they may think proper and sufficient in consequence of such delay, and the contractor shall not make any claim for compensation of damages in relation thereto.

17. Restriction of work to be carried out

if at any time after commencement of the work, the employer shall for any reason what so ever not require the whole work or part thereof as specified in the tender to be carried out, the contractor shall have no claim to any payment of compensation whatsoever on account of any profit / advantage / on which he might have derived from the execution of the work in full but which he did not derive in consequence of the full amount of the work not having been carried out nor shall be have any claim for compensation by reason of any alterations having been made in the original specifications, drawings, designs and instructions which shall involve any curtailment of the work as originally contemplated.

Provided that the contractor shall be paid the charges on the cartage only of materials actually and bonafide brought to the site of work by the contractor and tendered surplus as result of abandonment or curtailment of the work or any portion thereof and then taken back by the contractor, provided however, that the employer shall have in such cases the option of taking over all or any such materials at their purchase price or at local current rates which ever may be less.

In case of such stores having been issued from employer stores and returned by the contractor to employer stores, credit shall be given to the contractor at rates not exceeding those at which they were originally issued to him after taking in to consideration and deduction for claims on account of any deterioration or damage while in custody of the contractor and in this respect the decision of the employer shall be final.

18. Suspension

If the contractor except on account of any legal restraint upon the employer preventing the continuance of work shall suspend the works or in the opinion of the employer shall neglect or fail to proceed with due diligence in the performance of his part of the contract or if he shall more than once make default in respect of clause No.2 the employer shall have the owner to give notice in writing to the contractor requiring that the work be proceeded within reasonable manner and with reasonable dispatch, such notice shall purport to be a notice under this clause. After such notice shall have been given the contractor shall not be at liberty to remove from the site of the work or from any ground contiguous thereto any plant and materials belonging to him which will have been placed there on for the purpose of the works and the employer shall have a lien upon all such plant and materials subsist from the date of such notice being given until the notice shall have been complied with. If the contractor shall fail for seven days after such notice have been given to proceed with the works as therein prescribed the employer may proceed as provided in clause No.16.

19. Termination of contract by employer

Termination of contractor (being an individual or a firm) commit any "Act of insolvency" or shall be adjudged insolvent, shall make an assignment or composition for the benefit of the greater part in number or amount of his creditors or shall enter into a deed of assignment with his creditors or (being an incorporated company) shall have an order made against him or pass an effective resolution of winding up either compulsorily or subject to the supervision of the court or voluntarily or if the official assignee of the contractor shall repudiate the contractor if the official assignee or the days after notice to him requiring him to do so, to show to the reasonable satisfaction of the employer that he is able to carry out and fulfill the contract and if required by the employer to give security therefore or if the contractor (whether an individual, firm or incorporated company) shall suffer execution to be issued, or if the contractor shall suffer any payment contractor shall assign or sublet the contract, without the consent in writing of the Employer first obtained, or any payments due or which may become due to the contractor there under, of if the employer shall certify in writing that in their opinion the contractor;

- I. Has abandoned the contract.
- II. Has failed to commence the work, or has without any lawful excuse under these conditions suspended the progress of the work for fourteen days after receiving from the employer written notice to proceed, or
- III. Has failed to proceed with the works with such due diligence and failed to make such due progress as would enable the works to be completed within the time agreed upon, or
- IV. Has failed to remove materials from the site or to pull down and replace works within seven days after receiving from the employer written notice that the said materials or work were condemned and rejected by the employer under these conditions, or
- V. Has neglected or failed persistently to observe and perform all or any of the acts, matters or things by this contract to be observed and performed by the contractor to observe perform the same, or

Any other decision, opinion, direction, certificate or valuation of the employer to give any of the same shall be subject to the right of Arbitration and review in the same way in all respects (including the provision as to opening the reference) as if it were a decision of the employer.

20. Deposit

The amount deposited by the contractor along with his tender shall be retained with the employer and it shall be returned to the contractor on the virtual completion of the works. In case of default in any of the foregoing conditions the deposit amount shall be forfeited the employer.

21. The contractor undertakes to ensure due and complete compliance with all laws, regulations, rules etc. whether of the central government or the state government or of any other competent authority applicable to the workmen employed or whose services, are otherwise availed of by the contractor whether in connection with the construction work at the site or otherwise. The employer shall have the right to inspect the records maintained by the contractor concerning such workmen from time to time and contractor shall whenever required by the employer produce such records as the employer's may call upon the contractor produce for the employer inspection in order to ascertain whether or not the requirement of all such laws, regulations, rules etc., have been complied by the contractor. In the event of any contravention of such laws, regulations, rules etc., coming to light as a result of such inspection or otherwise the employer shall have the right to require the contractor effect such.
22. The employer shall not be responsible if any accident or death is caused during the execution of work, the contractor shall be responsible to pay the compensations.

Settlement of Dispute and Arbitration

I. All disputes and differences arising out of or in connection with the contract and works of any nature assigned under the same (whether during the progress of the works or after their completion), determination, abandonment or breach of the contract shall be referred to a team of three men arbitrator appointed by the Chairman, CPCB. The arbitrators shall elect an umpire among them. In case of conflicting findings by the arbitrators, the decision of the umpire shall be final and binding. It will not be an objection to any such appointment that the arbitrators are the government servants and had any interest in the board or the contract entered into directly or indirectly. In all cases, the arbitrators shall state their decision in writing and if amount of claims in dispute is Rs.50,000/- and above, the arbitrators shall give reasons for award.

Subject as aforesaid the provisions of the arbitrations cancellation act or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall apply to the arbitration proceeding under this clause.

II. It is a term of the contract that the party involving the arbitration shall specify the dispute or dispute to be referred to the arbitrator under this clause together with the amount or amounts claimed in respect of each such dispute.

III. It is also a term of the contract that if the contractor's do not make any demand for arbitration in respect of any claims in writing within 90 days of receiving the intimation from the CPCB that final bill is ready for payment, the claim of the contractor's will be deemed to have been waived and absolutely barred and the board will be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.

IV. The decision of the employer regarding the quantum of reduction as well as justification thereof in respect of rates for sub-standard work which may be decided will be final and would not be open to arbitration. Provided always that no compensation shall be payable for any loss in always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or war-like operation (a) unless the contractor had taken all such precautions against Air raid as are deemed necessary by A.R.P officers or the Engineers In Charge, (b) for any materials etc., not on the site of work or for any tools and plant, machinery, scaffolding temporary buildings and other things not intended for the work.

In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the employer compliance within such time as the employer may prescribe in that behalf and in the event of the contractor failing to effect such compliance within the time prescribed by the employer then the employer shall without prejudice to his other rights be entitled to withhold from the amount payable to the contractor any amount payable to the workmen under any such laws, regulations or rules and to make payment thereof to the workmen. The employer shall also have in that event the right to terminate the contract with immediate effect and to exercise powers reserved to their employer under the contract as a result of termination.

CPCB

CONTRACTOR/BIDDER

Witnesses

- 1.
- 2.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Date of Commencement | 10 th day from the date of issue of letter of award. |
| 2. | Date of completion | 30 days from the date of commencement. |
| 3. | Insurance | As directed. |
| 4. | Liquidated damages | 1% of the contract value per week subject to a maximum of 10% of the contract value. |
| 5. | Period of final measurements | Within 01 months from the date of completion. |
| 6. | Value of work for Interim Certificate | 100% after satisfactory completion of work |
| 7. | Security deposit | 5% of the contract amount as performance guarantee |
| 8. | Defects liability period | One year |

Instructions for Online Bid Submission:

The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

REGISTRATION

- i. Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) by clicking on the link “**Online bidder Enrollment**” on the CPP Portal which is free of charge.
- ii. As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.
- iii. Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.
- iv. Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile.
- v. Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.
- vi. Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC / e-Token.

SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS

- 1) There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.
- 2) Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective ‘My Tenders’ folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
- 3) The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

PREPARATION OF BIDS

- 1) Bidder should take into account any corrigendum published for the tender document before submitting their bids.
- 2) Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.
- 3) Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

- 4) To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use “My Space” or “Other Important Documents” area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the “My Space” area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

SUBMISSION OF BIDS

- 1) Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.
- 2) The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.
- 3) Bidder has to select the payment option as “offline” to pay the tender fee / EMD as applicable and enter details of the instrument.
- 4) Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document. The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the DD/any other accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- 5) Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BoQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BoQ file, open it and complete the white coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BoQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.
- 6) The server time (which is displayed on the bidders’ dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.
- vii. All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/ bid openers public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- viii. The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- ix. Upon the successful and timely submission of bids (i.e after Clicking “Freeze Bid Submission” in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- x. The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

ASSISTANCE TO BIDDERS

- 1) Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority of Regional Directorate, Pune upto 05:00pm 17.03.2025 on 020-2991 2773 or rdpune.cpcb@nic.in.
- 2) Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

“सीपीसीबी आरडी पुणे कार्यालय में विद्युत भार बढ़ाने
के लिए विविध विद्युत निर्माण कार्य”
हेतु
निविदा दस्तावेज



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे
सर्वेक्षण सं 110, धनकुडे बहुउद्देशीय हॉल,
बानेर रोड, बानेर, पुणे- 411045

विषय-सूची

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा प्रस्तुतिकरण पत्र

बिल ऑफ क्वांटिटीज

करार की मर्दे

संविदा की शर्ते

विवाद का निपटारा एवं मध्यस्थता

परिशिष्ट

निविदा आमंत्रण सूचना

1. क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)/अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के अनुमोदित और पात्र सूचीबद्ध संविदाकार से “सीपीसीबी आरडी पुणे कार्यालय में विद्युत भार बढ़ाने के लिए विविध विद्युत निर्माण कार्य” के लिए दो बोली प्रणाली में ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।
विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं | नि.आ.सू सं | कार्य का नाम एवं स्थान | बोली के लिए रखी गई अनुमानित लागत | बयाना राशि | पूर्ण होने की अवधि | तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय | तकनीकी बोली खोलने का समय और तारीख |
|---------|---|---|----------------------------------|------------|--------------------------------|---|--|
| 1. | एलबी-99/1/2022-एलएबी-आरडी-पुणे-आरडी (पुणे)-भाग (1)/दिनांक: 17.02.2025 | “सीपीसीबी आरडी पुणे कार्यालय में विद्युत भार बढ़ाने के लिए विविध विद्युत निर्माण कार्य” | 9,61,244/- | 19,225/- | कार्य आदेश जारी होने से 30 दिन | दिनांक 18.03.2025 को सायं 04:00 बजे | दिनांक 19.03.2025 को अपराह्न 04:00 बजे |

बयाना जमा राशि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में जमा करना होगा। बयाना जमा राशि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे, सर्वेक्षण सं 110, धनकुडे बहुउद्देशीय हॉल, बानेर रोड, बानेर, पुणे- 411045 के स्वागत कक्ष में रखे निविदा पेटी में मूल रूप से जमा करना होगा और इसकी स्कैन की गई कॉपी निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड करनी होगी।

2. निविदा दस्तावेज सीपीसीबी की वेबकार्य-स्थल www.cpcb.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

3. तकनीकी बोली में संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:

केवल वे संविदाकार ही आवेदन करने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

समान कार्य का अभिप्राय “विविध विद्युत निर्माण कार्य” से होगा।

- क. दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाले पिछले 7 वर्षों के दौरान निम्नलिखित समान कार्यो को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाना चाहिए।

तीन समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत 3.85 लाख रुपये से कम न हो

अथवा

दो समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत 4.81 लाख रुपये से कम न हो

अथवा

एक समान कार्य, प्रत्येक की लागत 7.69 लाख रुपये से कम न हो।

ख. एमएसडीसीएल/सीपीडब्ल्यूडी/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी में समुचित श्रेणी में वैध पंजीकरण होना चाहिए और वैध जीएसटी पंजीकरण और पैन नंबर होना चाहिए।

ग. शपथ पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संविदाकार/फर्म पिछले 03 वर्षों के दौरान किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा है तथा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है (शपथ पत्र गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में होना चाहिए तथा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)।

घ. निविदा दस्तावेज़ की हस्ताक्षरित प्रति

उपरोक्त दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रतियां तकनीकी बोली में फ़ोल्डर क से ग में अपलोड की जानी हैं, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

4. निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम

निविदा केवल सीपीपीप वेबकार्य-स्थल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर दिनांक 18.03.2025 को सायं 16.00 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। विलम्ब से प्रस्तुत की गई निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसे दिनांक 19.03.2025 को अपराह्न 16.00 बजे खोला जाएगा। निविदाकर्ता/संविदाकार को सलाह दी जाती है कि वे बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक "क" में दिए गए निर्देशों "ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता को निर्देश" का अनुअनुपालन सुनिश्चित करें। बोली दस्तावेज़ों को ब्लैक एंड हवाइट सहित 100 डीपीआई में स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में मदद करता है।

5 निविदा खोलना

यह निविदा अर्थात तकनीकी बोली दिनांक 19.03.2025 को अपराह्न 16.00 बजे सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, सीपीसीबी, आरडी पुणे में खोली जाएगी। बोलीदाताओं को निविदाओं के खुलने के समय व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोली स्वीकार्य पाई जाएगी।

एक से अधिक बोलीदाताओं के एल1 बनने की स्थिति में, सीपीसीबी आरडी, पुणे में सक्षम प्राधिकारी विभिन्न मानदंडों जैसे कार्य अनुभव की गुणवत्ता, संचालन में वर्षों की संख्या और किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम/संगठन आदि के कार्य संपूर्ण प्रमाण पत्र जैसे अन्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर एल1 बोलीदाताओं में से एक का चयन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. कार्य स्थल उपलब्ध है/या कार्य के लिए स्थल शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

7. संविदाकार को दर और राशि अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी दर्शाने चाहिए। प्रत्येक मद के लिए राशि की गणना की जानी चाहिए और अपेक्षित जोड़ दिया जाना चाहिए।

ख) दरों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा राशियों को अंकों में इस प्रकार लिखना चाहिए कि उनमें कोई अन्तराल गुंजाईश न हो। कुल राशि को अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए। अंकों के मामले में, रुपये के अंकों के स्थान पर “रुपये” तथा दशमलव अंकों के बाद “पैसा” लिखा जाना चाहिए, जैसे कि 2 रुपये और 15 पैसे के मामले में, पहले “रुपये” तथा अंत में “पैसे” लिखा जाना चाहिए। जब तक दरें केवल रुपये में न हों तथा उसके बाद “केवल” शब्द न हों, तब तक यह हमेशा दो दशमलव स्थान तक होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दर उद्धृत करते समय, राशि के ठीक बाद “केवल” शब्द लिखा जाना चाहिए तथा इसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

ग) संविदाकार द्वारा मद दर निविदा में अंकों और शब्दों में उद्धृत दरें सही-सही भरी जाएंगी ताकि अंकों और शब्दों में कोई विसंगति न हो। तथापि, यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो संविदाकार द्वारा गणना की गई राशि के अनुरूप दरों को सही माना जाएगा।

(घ) यदि संविदाकार द्वारा किसी वस्तु की राशि का आकलन नहीं किया गया है और यदि अंकों या शब्दों में लिखी गई दर के अनुरूप नहीं है, तो संविदाकार द्वारा शब्दों में उद्धृत दर को ही सही माना जाएगा।

(ङ) जहां संविदाकार द्वारा आंकड़ों और शब्दों में उद्धृत दरें मेल खाती हैं, परंतु राशि सही ढंग से गणना नहीं की गई है, तो संविदाकार द्वारा उद्धृत दर को सही माना जाएगा, न कि राशि को।

8. जिस संविदाकार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अपने संविदा की पूर्ति के लिए संविदा मूल्य के 5% की दर से निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

निविदाओं के समय जमा की गई बयाना राशि निष्पादन गारंटी जमा करने के बाद जारी की जाएगी।

त्रुटियों के सत्यापन के अध्यक्षीन 'त्रुटि देयता अवधि' के बाद निष्पादन गारंटी जारी की जाएगी।

9. सीपीसीबी किसी निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। वे सभी निविदाएँ जिनमें कोई भी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं या किसी भी तरह से अपूर्ण हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सीपीसीबी निविदा के संपूर्ण या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता उद्धृत दर पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

10. निविदा के संबंध में किसी भी रूप में प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा प्रचार करने वाले संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी।
11. सभी दरें निविदा में उचित प्रपत्र में उद्धृत की जाएंगी।
12. किसी भी निविदा में मद दर प्रतिशत नीचे/ऊपर होने पर उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, जहां कोई निविदाकर्ता स्वेच्छा से निर्धारित अवधि के भीतर छूट या भुगतान की पेशकश करता है, तो इस पर विचार किया जा सकता है।
13. निविदा स्वीकृत होने पर, संविदाकार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का नाम, जो सी.पी.सी.बी. से निर्देश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा, सी.पी.सी.बी. को सूचित किया जाएगा।
14. इस संविदा के संबंध में जीएसटी या कोई अन्य कर या देयता संविदाकार द्वारा देय होगी और सीपीसीबी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. निविदा खुलने की तिथि से 01 महीने की अवधि के लिए इस कार्यों के लिए निविदा स्वीकृति हेतु खुली रहेगी। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों में कोई संशोधन करता है जो सीपीसीबी को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीपीसीबी निविदाकर्ता की बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
16. निविदाकर्ता के लिए सभी घटकों या भागों के लिए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करना और उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा तथा कार्य सौंपे जाने के बाद उसे प्रत्येक घटक या भाग के लिए सीपीसीबी के साथ करार करना होगा।
17. संविदाकार को कार्य-स्थल का मुआयना करना चाहिए और कार्य की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और किसी भी संदेह की स्थिति में, आवश्यक विवरण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें सीपीसीबी किसी भी तरह से

उसकी निविदा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि किसी भी कथित अज्ञानता के लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. यदि यह पाया जाता है कि निविदा समुचित तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई है या उसमें बहुत अधिक संशोधन या बेतुकी दरें या राशियां हैं, तो उसे सीपीसीबी द्वारा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
19. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर जाए, तथा उसका और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करके वह सभी सूचनाएं एकत्र करे जो वह संभावित कार्य के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक समझता हो।
20. संविदाकार को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और समय-समय पर इसके तहत जारी नियमों और आदेशों का अनुपालन करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसकी विफलता संविदा का उल्लंघन मानी जाएगी और सीपीसीबी अपने विवेक से संविदा को रद्द कर सकता है। संविदाकार अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय देनदारी के लिए भी उत्तरदायी होगा।
21. कार्य के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की विकृति/दुर्घटना या सी.पी.सी.बी. की संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर, संविदाकार सी.पी.सी.बी. को क्षतिपूर्ति या श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
22. संविदा के लिए संविदाकार की जिम्मेदारी निविदा की स्वीकृति के आदेश जारी होने की तारीख से शुरू होगी।
23. कार्य निष्पादन के लिए अनुपालन की जाने वाली विशिष्टताएं: अद्यतित जारी सुधार पर्ची सहित विद्युत उपकरण।
24. निविदा देने से पहले, संविदाकार को कार्य-स्थल का निरीक्षण करना होगा ताकि वह कार्य-स्थल की पहुंच और जमीन की प्रकृति, सामग्री के ढेर सहित काम करने की स्थिति, टी एंड पी की स्थापना आदि के बारे में पूरी तरह से परिचित हो सके, जो संविदा के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक आवास और श्रमिकों की आवाजाही आदि को प्रभावित करती है। किसी भी परिस्थिति में विभाग द्वारा इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
25. तकनीकी प्रतिनिधि(यों) की आवश्यकता और वसूली दर: -

| क्र. सं. | पदनाम | विषय | न्यूनतम अर्हता | न्यूनतम अनुभव | संख्या | गैर-अनुअनुपालन की स्थिति में वसूली की दर निम्न प्रकार होगी | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|--------|--|------------|
| | | | | | | राशि | शब्दों में |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------------------|----|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | स्थल प्रभारी | इलेक्ट इंजी. | स्नातक इंजीनियर या डिप्लोमा इंजीनियर | 2 वर्ष 5 वर्ष | एक | 15000/- प्रति माह | पंद्रह हजार रुपये प्रति माह |
|----|--------------|--------------|--|------------------|----|-------------------------|-----------------------------------|

26. संविदाकार को पिछले वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा निष्पादित कार्यों की सूची तथा वर्तमान कार्यों (प्रगति) की सूची निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी:

पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में निष्पादित कार्य

| कार्य का नाम | उस स्थान का नाम और विवरण जहां कार्य निष्पादित किया गया | काम का मूल्य | कार्यों की स्थिति (प्रगति पर/संपूर्ण) | अभ्युक्ति |
|--------------|--|--------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में निष्पादित कार्य

| कार्य का नाम | उस स्थान का नाम और विवरण जहां कार्य निष्पादित किया गया | काम का मूल्य | कार्यों की स्थिति (प्रगति पर/संपूर्ण) | अभ्युक्ति |
|--------------|--|--------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

27. सड़क मरम्मत के लिए पीएमसी शुल्क का भुगतान सीपीसीबी द्वारा पीएमसी को वास्तविक रूप से किया जाएगा।
28. समुचित क्षमता के विद्युत मीटर की स्थापना के लिए शुल्क सीपीसीबी द्वारा एमएसईडीसीएल को अलग से भुगतान किया जाएगा।
29. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा, भुगतान केवल कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने तथा तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया जाएगा।
30. चूंकि केबल बिछाने का कार्य सड़क के बाहर/सोसायटी परिसर के पास किया जाना है, इसलिए सभी खुदाई/मरम्मत कार्य सावधानीपूर्वक किए जाने चाहिए और उन्हें मूल स्थिति में तथा सोसायटी/पीएमसी की संतुष्टि के अनुसार मरम्मत किया जाना चाहिए।
31. यह कार्य एमएसईडीसीएल की देखरेख में और उसकी संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। प्रयुक्त पर्यवेक्षण शुल्क सीपीसीबी द्वारा एमएसईडीसीएल को सीधे भुगतान किया जाएगा।

निविदा प्रस्तुतिकरण पत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे,
सर्वेक्षण सं 110, धनकुडे बहुउद्देशीय हॉल,
बानेर रोड, बानेर, पुणे- 411045

महोदय,

आपके द्वारा "सीपीसीबी आरडी पुणे कार्यालय में विद्युत भार बढ़ाने के लिए विविध विद्युत कार्यों" के लिए आमंत्रित निविदा के संदर्भ में। मैं/हम बिल ऑफ क्वांटिटीज में उल्लिखित 'संबंधित दरों पर संविदा' के तहत कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं। मैंने/हमने कार्य-स्थल देखा है और संविदा की मर्दे, संविदा की शर्तें, विनिर्देश और बिल ऑफ क्वांटिटीज का हिस्सा बनने वाले विशेष खंड पढ़े हैं। मैं/हम निविदा में निर्दिष्ट अनुसार तीन महीने के भीतर संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए सहमत हैं।

मैंने/हमने बयाना राशि के रूप में रु. (रुपयेकेवल) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कर दिए हैं, जिस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यदि हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है और मैं/हम कार्य सौंपे जाने के 15 दिनों के भीतर संविदा शुरू करने के लिए कहे जाने पर अगर इसे नहीं कर पाते हैं तो यह राशि आपके द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

मैं/हम समझते हैं कि आप न्यूनतम दर या प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

भवदीय,

फर्म के भागीदारों का नाम

बैंकरों का नाम

निविदाएं दिनांकको प्रस्तुत की गईं।

बिल ऑफ क्वांटिटीज

| क्र. सं | मदों का विवरण | मात्रा | इकाई |
|---------|---|--------|------|
| 1 | आईएस:7098, भाग-1 के अनुरूप 1.1 केवी ग्रेड के एक नग एक्सएलपीई इंसुलेटेड स्ट्रैंडेड एल्युमिनियम कंडक्टर, आर्मर्ड, पावर केबल की आपूर्ति, जो आवश्यकतानुसार निम्नलिखित आकार का होगा। | | |
| क) | 3.5 x 120 वर्गमिमी | 40.00 | मीटर |
| ख) | 3.5 x 240 वर्गमिमी | 240.00 | मीटर |
| 2 | निम्न आकार के 1.1 केवी ग्रेड के एक नग पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड/एक्सएलपीई पावर केबल को सीधे जमीन में बिछाना, जिसमें आवश्यकतानुसार खुदाई, रेत कुशनिंग, सुरक्षात्मक आवरण और खाई को फिर से भरना आदि शामिल है। | | |
| क) | 185 वर्ग मिमी से अधिक और 400 वर्ग मिमी तक | 240.00 | मीटर |
| 3 | आवश्यकतानुसार मौजूदा आरसीसी/ह्यूम/मेटल पाइप में निम्न आकार के 1.1 केवी ग्रेड के एक नग पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड/एक्सएलपीई पावर केबल बिछाना। | | |
| क) | 185 वर्ग मिमी से अधिक और 400 वर्ग मिमी तक | 40.00 | मीटर |
| 4 | आवश्यकतानुसार 1.1 केवी ग्रेड के पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी शीथेड/एक्सएलपीई एल्यूमीनियम कंडक्टर केबल के निम्न आकार के लिए ब्राश कॉम्प्रेसन ग्लैंड और एल्यूमीनियम लग्स सहित अंत समाप्ति की आपूर्ति और निर्माण करना। | | |
| क) | 3½ x 120 वर्ग मिमी (45 मिमी) | 2.00 | सेट |
| ख) | 3½ x 240 वर्ग मिमी (62मिमी) | 2.00 | सेट |
| 5 | निम्नलिखित आकार के डीडब्ल्यूसी एचडीपीई पाइप की आपूर्ति और बिछाने का कार्य आईएसआई मार्क सहित सॉकेट, बेंड, कपलर आदि जैसे सभी सहायक उपकरण जे आईएस 14930 का होगा और जिसे भाग II के अनुरूप फिटिंग और कटिंग, ज्वाइंटिंग आदि के साथ सीधे जमीन में (जमीन की सतह से 75 सेमी नीचे) संपूर्ण करना होगा जिसमें खुदाई और खाई को फिर से भरना शामिल है, | | |

| क्र. सं | मदों का विवरण | मात्रा | इकाई |
|---------|---|--------|------|
| | परंतु जिसमें रेत कुशनिंग और सुरक्षात्मक आवरण आदि शामिल नहीं है, को आवश्यकतानुसार पूरा करना। | | |
| क) | 120 मिमी व्यास (ओडी-120 मिमी और आईडी-103 मिमी नाममात्र) | 240.00 | मीटर |
| 6 | सहायक सामग्री सहित 600 मिमी x 600 मिमी x 6 मिमी मोटी जी.आई. अर्थ प्लेट के साथ अर्थिंग, तथा लॉकिंग व्यवस्था वाले कवर प्लेट के साथ चिनाई घेरा प्रदान करना तथा आवश्यकतानुसार चारकोल/कोक और नमक के साथ 2.7 मीटर लंबी सिंचाई पाइप आदि प्रदान करना। | 2.00 | सेट |
| 7 | आवश्यकतानुसार सतह पर या कनेक्शन आदि के लिए रिसेस में 25 मिमी X 5 मिमी जी.आई. पट्टी उपलब्ध कराना और लगाना। | 10.00 | मीटर |
| 8 | एमएसईडीसीएल अनुमोदित पाउडर कोटेड प्लेन एलटी फीडर पिलर (400 ए * 4वे) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और शुरुआत | 1.00 | नग |
| 9 | कंक्रीट/मिट्टी/पेवर ब्लॉक की मरम्मत (श्रम शुल्क सहित) 1:3:6 (1 सीमेंट: 3 मोटी रेत (क्षेत्र-III) प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त: 6 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 20 मिमी नाममात्र प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त (300 मिमी X 600 मिमी) | 250.00 | मीटर |

टिप्पणी:

1. सड़क मरम्मत के लिए पीएमसी शुल्क का भुगतान सीपीसीबी द्वारा पीएमसी को वास्तविक रूप से किया जाएगा।
2. समुचित क्षमता के विद्युत मीटर की स्थापना के लिए शुल्क सीपीसीबी द्वारा एमएसईडीसीएल को अलग से भुगतान किया जाएगा।

करार की मर्दे

इसदिनको के बीच दूसरे भाग के लिए करार किया गया(जिसे इसके बाद नियोक्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें उसके, निष्पादक, प्रशासक और कार्यभार शामिल होंगे) जबकि नियोक्ता "सीपीसीबी आरडी पुणे कार्यालय में विद्युत भार बढ़ाने के लिए विविध विद्युत निर्माण कार्यों" के लिए इच्छुक है।

जबकि उक्त एकल रेखा आरेख और विनिर्देश तथा मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं और जबकि संविदाकार ने इसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन (जिन्हें इसके बाद 'शर्तों' के रूप में संदर्भित किया गया है) "उक्त एकल रेखा आरेख" में दर्शाए गए और "उक्त विनिर्देशों" और उक्त "मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची" में वर्णित कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

मात्राओं की मूल्य अनुसूची में उल्लिखित संबंधित दरों पर कूर्की की गई हैं।

और चूंकि संविदाकार ने संविदा के निष्पादन के लिए नियोक्ता के पास रु. (रुपये) जमा कर दिए हैं।

अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई:

1. संविदाकार को इसके बाद दिए गए प्रावधान के अनुसार किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिफल में, वह उक्त शर्तों के अध्यक्षीन उक्त एकल रेखा आरेख में दर्शाए गए कार्यों को निष्पादित और पूरा करेगा तथा ऐसे और विस्तृत एकल रेखा आरेख को भी निष्पादित करेगा जो उसे उक्त वास्तुकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे तथा विनिर्देशों और मात्राओं की उक्त मूल्य अनुसूची में वर्णित होंगे।
2. नियोक्ता संविदाकार को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से देय होगी।
3. ऊपर उल्लिखित योजनाएं, करार और दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे और सामग्री, कारीगरी या खाते के रूप में विवाद के सभी मामलों के संदर्भ में संविदा की शर्तों में उल्लिखित उक्त नियोक्ता का निर्णय और इस करार या इसके साथ संलग्न किसी अन्य दस्तावेज के खंडों की इच्छित व्याख्या अंतिम और दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी और इसे न्यायालय का नियम बनाया जाएगा।
4. उक्त संविदा में उपर्युक्त भवन और उसी स्थल के भीतर उनसे जुड़े सभी सहायक कार्य शामिल हैं, जिन्हें उक्त नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, भले ही ऐसे कार्य एकल रेखा आरेख पर नहीं दिखाए गए हों या उक्त विनिर्देशों या मात्राओं की मूल्य अनुसूची में वर्णित न हों।

5. उक्त शर्तें और विशेष शर्तें, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची, श्रमिकों की मजदूरी अनुसूची और सामग्रियों की अनुसूची नियोक्ता द्वारा आपूर्ति की जाएगी और गारंटी बांड को इस करार का व्याख्या करने वाले के साथ पढ़ा जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः शर्तों और संविदाओं का अनुपालन करेंगे और अपने आप को उनके अध्यक्षीन रखेंगे और ऐसी शर्तों में क्रमशः अपने भाग के करारों का अनुपालन करेंगे।
6. नियोक्ता कार्य के चित्र और प्रकृति में परिवर्तन करने तथा कार्य के किसी भाग को जोड़ने या हटाने अथवा उसके किसी भाग को विभागीय रूप से या अन्यथा कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा ऐसे परिवर्तन या बदलाव इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किए जाएंगे।
7. इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद पुणे में उत्पन्न माने जाएंगे और पुणे की न्यायालयों को इसे निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार होगा।
8. इस संविदा के विभिन्न भागों को हमने पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है। साक्ष्य के रूप में हम दिनांक हस्ताक्षर करते हैं।

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षियों की मौजूदगी में

नियोक्ता

1. उक्त द्वारा हस्ताक्षरित

2. की उपस्थिति में

करार की शर्तें

1. व्याख्या

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की मूल्य सूची, निविदा और समझौते को परिभाषित करते समय, निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसमें दिए गए हैं, सिवाय इसके कि जहां विषय या संपर्क अन्यथा अपेक्षित हो:-

"नियोक्ता" से अभिप्राय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उसके (उनके) उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, वारिस और उत्तराधिकारी से होगा।

"संविदाकार" का अभिप्राय

..... और उसके (उनके) उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, वारिस और उत्तराधिकारी से होगा।

"स्थल" का अभिप्राय संविदा कार्यों का स्थल होगा, जैसा कि संलग्न कार्य-स्थल योजना में दर्शाया गया है, जिसमें उस पर कोई भी भवन और निर्माण तथा उससे सटी कोई अन्य भूमि (समावेशी रूप से) शामिल है, जैसा कि नियोक्ता द्वारा संविदाकार के उपयोग के लिए पूर्वोक्त रूप से आवंटित किया गया है।

"इस संविदा" का अभिप्राय करार की मर्त, विशेष शर्तें, ये शर्तें, क्वांटिटीस की मूल्य अनुसूची, विनिर्देश, और परिशिष्ट तथा एकल रेखा आरेख, निविदा की प्राप्ति तक जारी किए गए अतिरिक्त निर्देश और निविदा की स्वीकृति की तिथि तक यदि कोई पत्राचार हो, तथा संविदा की स्वीकृति पत्र से होगा।

"दिवालियापन कृत्य" का अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, या प्रांतीय अधिनियम या किसी संशोधनकारी कानून द्वारा परिभाषित दिवालियेपन का कोई कृत्य से होगा।

"लिखित सूचना" या लिखित सूचना का अभिप्राय टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि वितरित न किया गया हो) या अन्यथा पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को प्राप्त हुआ हो तथा इसे उस समय प्राप्त हुआ माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया जाता।

"वास्तविक पूर्णता" का अभिप्राय नियोक्ता की राय में भवन कब्जे के लिए उपयुक्त है से होगा।

"व्यक्तियों को आरोपित करने वाले शब्दों" में फर्म और निगम शामिल हैं। जहां संदर्भ की आवश्यकता हो, केवल एकवचन को आरोपित करने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल है और केवल बहुवचन को आरोपित करने वाले शब्दों में एकवचन भी शामिल है।

2. कार्य क्षेत्र

संक्षेप में संविदा में "सीपीसीबी आरडी पुणे कार्यालय में विद्युत भार बढ़ाने के लिए विविध विद्युत निर्माण कार्य" शामिल हैं। संविदाकार इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार तथा उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से कार्य करेगा और उसे पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेक से समय-समय पर आगे एकल रेखा आरेख और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी करता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से निम्नलिखित के संबंध में "नियोक्ता के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है:-

- क) कार्य की डिजाइन, गुणवत्ता में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य में वृद्धि, कमी या प्रतिस्थापन।
- ख) संविदाकार द्वारा वहां लाई गई किसी भी सामग्री को कार्य-स्थल से हटाना और उसके स्थान पर अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना।
- ग) संविदाकार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- घ) उसके बाद किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।
- ड) किसी भी कवर किए हुए कार्य को निरीक्षण के लिए खोलना।
- च) खंड (12) के तहत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना

5. प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

संविदाकार को विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, कार्यों से संबंधित किसी भी प्राधिकरण के नियमों और उप-नियमों, तथा किसी भी जल, प्रकाश और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों, जिनके प्रणाली से संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है, की पुष्टि करनी होगी, तथा एकल रेखा आरेख या विनिर्देशों से कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो कि पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो सकता है, नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसे करने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा, तथा उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि संविदाकार को सात दिनों के भीतर ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों की पुष्टि करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएगा।

संविदाकार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं किसी प्राधिकारी को देने की व्यवस्था करेगा तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी लोक अधिकारी को कार्यों के संबंध में समुचित रूप से देय सभी शुल्क का भुगतान करेगा, तथा रसीदें नियोक्ता के पास जमा कराएगा।

संविदाकार को पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता की पहचान करनी होगी तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करना होगा, जब तक कि उसने किसी ऐसे उल्लंघन के आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त करने से पहले नियोक्ता को सूचित नहीं किया हो तथा उसे स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना, लागत तथा सभी प्रकार के प्रभार का भुगतान करना होगा, जो कानूनी रूप से उसके संबंध में वहन किए जा सकते हैं।

6. पहुंच

नियोक्ता, उनके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर कार्य स्थल और/या कार्यशाला कारखानों, या अन्य स्थानों पर जहाँ सामग्री तैयार की जा रही है या संविदा का निर्माण किया जा रहा है और किसी अन्य स्थान पर भी जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, जाने की अनुमति होगी, और संविदाकार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधि को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रोत्यायोजन को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी समय कार्य स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई कार्य किया जाना है, तो संविदाकार को ऐसा करने के लिए नियोक्ता की लिखित अनुमति लेनी होगी। कार्य की प्रगति/पूर्ण होने पर नियोक्ता द्वारा उसका निरीक्षण भी किया जा सकता है।

7. कामगारों की बर्खास्तगी

संविदाकार नियोजक के अनुरोध पर कार्य से ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरन्त हटा देगा जो नियोजक की राय में अनुपयुक्त या अक्षम हो या जिसका आचरण खराब हो, तथा ऐसे व्यक्ति को नियोजक की अनुमति के बिना पुनः कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य पर नहीं आने दिया जाएगा।

8. प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की तिथि

संविदाकार को परिशिष्ट में उल्लिखित "आरंभ की तिथि" पर कार्य-स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह इसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य समाप्ति की तिथि" को या उससे पहले इसे पूरा करेगा, फिर भी इसके बाद समय के विस्तार का प्रावधान होगा।

समय संविदा का सार है, इसलिए संविदाकार समय और प्रगति चार्ट का अनुपालन करेगा और आनुपातिक समय में आनुपातिक प्रगति देगा, अर्थात् 1/4 समय में 1/8वां काम, 1/2 समय में 3/8वां काम और 3/4

समय में 3/4वां काम और नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए गए सादृश्य के आधार पर बार चार्ट में परिकल्पित प्रगति के अनुरूप अनुपालन करेगा। यदि संविदाकार आनुपातिक समय में आनुपातिक प्रगति नहीं कर पाता है, तो नियोक्ता में यथाविनिर्दिष्ट परिसमाप्त क्षति के रूप में राशि वसूल सकता है, तथापि व्यक्तिगत मद और संपूर्ण कार्य लक्ष्य तिथियों तक पूरा होने पर इसे वापस कर दिया जाएगा, जैसा कि नियोक्ता द्वारा तय किया गया है और जिस पर नियोक्ता का निर्णय बाध्यकारी होगा।

9. कार्यभार

संविदा में सम्मिलित समस्त कार्य संविदाकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और संविदाकार नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदेशित या पट्टे पर नहीं देगा, उसमें हिस्सेदारी नहीं करेगा और न ही कोई नया साझेदार लेगा, और कोई उप-पट्टा संविदाकार को संविदाकार की पूरी और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या उसके दौरान कार्य के सक्रिय अधीक्षण से कार्यमुक्त नहीं करेगा।

10. क्वांटिटीस की अनुसूची

मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, विनिर्देशों में उल्लिखित माप पद्धति के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी और उसे अनुमानित माना जाएगा तथा उसमें पाई गई किसी त्रुटि के लिए नियोक्ता पर कोई दायता नहीं होगा।

11. नियोक्ता की निम्नानुसार राय के अनुसार कार्य में विलम्ब हो सकता है

- क) लगातार बारिश, बाढ़, आग और इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं जैसे प्राकृतिक बल के कारण या
- ख) मौसम के किसी भी असाधारण रूप से खराब होने के कारण या
- ग) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या
- घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य संविदाकार या कारीगर के काम या विलम्ब के कारण जिसे क्वांटिटीस और/या विनिर्देश की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया या
- ङ) खंड संख्या 2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों के कारण या
- च) नागरिक उपद्रव, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी निर्माण व्यापार को प्रभावित करना या

- छ) नियोक्ता से आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया हो या
- ज) अन्य कारणों से जिसे नियोक्ता संविदाकार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है या
- झ) हड़ताल या तालाबंदी के मामले में संविदाकार नियोक्ता को लिखित सूचना देगा, परंतु संविदाकार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों का लगातार उपयोग करेगा और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब कुछ करेगा जो समुचित रूप से आवश्यक हो सकता है काम को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता को संविदाकार के काम को पूरा करने के लिए उचित और समुचित समय बढ़ाना होगा।

12. कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति

यदि संविदाकार परिशिष्ट में उल्लिखित समाप्ति तिथि तक या उसके खंड 11 के अधीन किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं कर पाता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उनकी राय में कार्य उचित रूप से इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए था, तो संविदाकार नियोक्ता को परिशिष्ट में उल्लिखित "परिसमाप्त क्षतिग्रस्त" राशि का भुगतान करेगा या उसे उस अवधि के लिए देगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अपूर्ण रहेगा और नियोक्ता संविदाकार को देय किसी भी धनराशि से ऐसी क्षति की कटौती कर सकता है।

13. संविदाकार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पाना

यदि संविदाकार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, ऐसे अतिरिक्त ड्रॉइंग और/या नियोक्ता के अनुदेशों के अनुअनुपालन की अपेक्षा करता है और सात दिनों के भीतर ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित नहीं कर पाता है, जो उसके लिए प्रभावी रूप से आवश्यक हो सकता है तो इसके संबंध में होने वाली सभी लागतें नियोक्ता द्वारा संविदाकार से ऋण के रूप में वसूल की जा सकेंगी या संविदाकार को देय किसी भी धनराशि से कटौती की जा सकती है।

14. प्रमाणपत्र और भुगतान

नियोक्ता द्वारा संविदाकार को समय-समय पर अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किशतों में भुगतान किया जाएगा, जो नियोक्ता द्वारा संविदाकार को किए गए कार्यों के लिए जारी किए जाएंगे, जब नियोक्ता की राय में इस संविदा के अनुसार अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्यों के मूल्य के रूप में परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य (नियोक्ता के समुचित विवेक पर कम) के अनुसार कार्य निष्पादित किया गया है, तथापि

परिशिष्ट में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को "अंतरिम प्रमाणपत्रों के प्रतिधारण प्रतिशत" के रूप में बनाए रखा जाएगा। नियोक्ता अपने विवेक से अंतरिम प्रमाणपत्र में मानक सीपीडब्ल्यूडी/एमएसईडीसीएल प्रक्रिया के अनुसार संविदाकार द्वारा कार्यों में उपयोग के लिए कार्य-स्थल पर वितरित सामग्री के लिए ऐसी राशि शामिल कर सकता है।

और जब कार्य लगभग पूर्ण हो गए हों और नियोक्ता ने लिखित रूप में प्रमाणित कर दिया हो कि वे इस प्रकार कार्य पूरा हो गए हैं, तो नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार संविदाकार को नियोक्ता द्वारा 'वास्तविक पूर्णता के पश्चात किस्त' के रूप में परिशिष्ट में नामित धनराशि का भुगतान किया जाएगा और संविदाकार नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जो कि इस परिशिष्ट में "त्रुटि देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर वास्तविक पूर्णता की तिथि से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद होगा, जब कार्य अंतिम रूप से पूर्ण हो गए होंगे और सभी त्रुटियों को इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिया जाएगा, जो भी अंतिम रूप से घटित होगा। हमेशा यह प्रावधान होगा कि कार्य की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के पश्चात नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र का जारी किया जाना संविदा को या कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाने या किसी भी मामले से संबंधित किसी भी मामले में उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। प्रमाणपत्र के भीतर और कार्यों या सामग्रियों में सभी त्रुटियों और अपर्याप्तताओं के मामले में जो समुचित परीक्षा द्वारा प्रकट नहीं किए जा सकते थे। नियोक्ता का कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में निर्णायक साक्ष्य नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई भी कार्य या सामग्री संविदा के अनुरूप है।

यदि कार्य या उसका कोई भाग नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो नियोक्ता को कोई भी प्रमाणपत्र रोक लेने का अधिकार होगा।

अंतरिम प्रमाणपत्र पर भुगतान, "प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि" परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र नियोक्ता को सौंपा जाएगा जब सीपीसीबी द्वारा उसकी जांच कर ली जाएगी।

15. आभासी पूर्णता का प्रमाण पत्र

जब तक नियोक्ता लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि कार्य वस्तुतः पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा तथा त्रुटि देयता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से प्रारंभ होगी।

16. नियोक्ता द्वारा प्रगति में विलंब

नियोजक, संविदा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, कार्य की प्रगति में विलम्ब कर सकता है तथा संविदा को पूरा करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकता है जिसे वह ऐसे विलम्ब के परिणामस्वरूप समुचित और पर्याप्त समझे, तथा संविदाकार इसके संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं करेगा।

17. किये जाने वाले कार्य पर प्रतिबंध

यदि कार्य के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी समय नियोजक किसी भी कारणवश निविदा में निर्दिष्ट संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने की मांग नहीं करता है, तो संविदाकार, किसी भी प्रकार के मुआवजे के भुगतान के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा, जो किसी लाभ/फायदे के कारण हो सकता था, जो उसे कार्य के पूर्ण रूप से निष्पादन से प्राप्त हो सकता था, किन्तु जो उसे कार्य की पूरी राशि के भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ, और न ही मूल विनिर्देशों, ड्रॉइंग डिजाइनों और अनुदेशों में किए गए किसी परिवर्तन के कारण मुआवजे के लिए दावा कर सकेगा, जिसमें मूल रूप से परिकल्पित कार्य में कोई कटौती शामिल हो।

बशर्ते कि संविदाकार को केवल उन सामग्रियों के दुलाई प्रभार का भुगतान किया जाएगा जो संविदाकार द्वारा वास्तव में और सद्भावपूर्वक कार्य स्थल पर लाई गई हों और जो कार्य या उसके किसी भाग के परित्याग या कटौती के परिणामस्वरूप अधिशेष हो और फिर संविदाकार द्वारा वापस ले ली गई हों, तथापि, नियोक्ता के पास ऐसे मामलों में सभी या किसी भी ऐसी सामग्री को उनके क्रय मूल्य पर या स्थानीय वर्तमान दरों पर, जो भी कम हो, लेने का विकल्प होगा।

ऐसे भण्डार के मामले में, जो नियोजक भण्डार से जारी किया गया है और संविदाकार द्वारा नियोजक भण्डार को वापस कर दिया गया है, संविदाकार को उन दरों पर ऋण दिया जाएगा, जो उन दरों से अधिक नहीं होगी, जिन पर वे मूल रूप से उसे जारी किए गए थे, संविदाकार की अभिरक्षा में किसी गिरावट या क्षति के कारण दावों के लिए कटौती और विचार करने के पश्चात और इस संबंध में नियोजक का निर्णय अंतिम होगा।

18. निलंबन

यदि संविदाकार, नियोक्ता पर किसी कानूनी प्रतिबंध के कारण कार्य की निरंतरता को रोकने के अलावा, कार्य को निलंबित कर देता है या नियोक्ता की राय में संविदा के अपने हिस्से के निष्पादन में समुचित तत्परता से आगे बढ़ने में उपेक्षा या विफल रहता है या यदि वह खंड संख्या 2 के संबंध में एक से अधिक बार चूक करता है, तो नियोक्ता को मालिक से संविदाकार को लिखित रूप में नोटिस देना होगा कि कार्य

को उचित तरीके से और उचित गति से आगे बढ़ाया जाए, ऐसा नोटिस इस खंड के तहत नोटिस माना जाएगा। ऐसा नोटिस दिए जाने के बाद संविदाकार को कार्य स्थल से या उसके आस-पास की किसी भी जमीन से अपने किसी भी संयंत्र और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता नहीं होगी, जो कार्य के उद्देश्य से वहां रखी गई होगी और नियोक्ता के पास ऐसे सभी संयंत्र और सामग्री पर ग्रहणाधिकार होगा जो ऐसे नोटिस दिए जाने की तारीख से तब तक विद्यमान रहेंगे जब तक कि नोटिस का अनुपालन नहीं हो जाता। यदि संविदाकार ऐसे नोटिस दिए जाने के बाद सात दिनों तक उसमें निर्धारित अनुसार कार्य नहीं करता है, तो नियोक्ता खंड संख्या 16 के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

19. नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

संविदाकार की समाप्ति (कोई व्यक्ति या फर्म होने के नाते) कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है, अपने लेनदारों की संख्या या राशि के बड़े हिस्से के लाभ के लिए कार्य या संयोजन करता है या अपने लेनदारों के साथ कार्य करता है या (एक निगमित कंपनी होने के नाते) उसके विरुद्ध आदेश जारी किया जाएगा या अनिवार्य रूप से या न्यायालय की देखरेख में या स्वेच्छा से या यदि संविदाकार का आधिकारिक समनुदेशिती संविदाकार को अस्वीकार कर देता है तो संविदाकार को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि आधिकारिक समनुदेशिती या उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के बाद के दिनों में, नियोक्ता की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा इसके लिए सुरक्षा देने के लिए कहा जाता है या यदि संविदाकार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) कार्य निष्पादन जारी रहने देता है, या यदि संविदाकार किसी भी भुगतान को सहन करता है लिखित रूप में प्रमाणित करें कि उनकी राय में संविदाकार;

- I. संविदा को त्याग दिया है।
- II. कार्य आरंभ नहीं कर पाता है, अथवा इन शर्तों के अंतर्गत बिना किसी वैध कारण के नियोक्ता से आगे बढ़ने के लिए लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- III. कार्य को ऐसे समुचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ नहीं पाता है और ऐसी समुचित प्रगति नहीं कर पाता है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या

- IV. नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद सात दिनों के भीतर कार्य-स्थल से सामग्री को हटाने या कार्यों को हटाने और उसे परिवर्तन नहीं कर पाता जिसके कारण उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था, या
- V. इस संविदा का संविदाकार द्वारा अनुपालन किए जाने और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीजों का अनुपालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या विफल रहा है, या

नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, सभी मामलों में उसी तरह से मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अध्यक्षीन होगा (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित) जैसे कि नियोक्ता का निर्णय हो।

20. जमा

संविदाकार द्वारा अपनी निविदा के साथ जमा की गई राशि नियोक्ता के पास रखी जाएगी तथा कार्य पूर्ण होने पर उसे संविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में जमा राशि नियोक्ता द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

21. संविदाकार यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि वह सभी कानूनों, विनियमों, नियमों आदि का समुचित और पूर्ण अनुपालन करेगा, चाहे वे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के, जो नियोजित कामगारों पर लागू हों या जिनकी सेवाओं का संविदाकार द्वारा कार्य-स्थल पर निर्माण कार्य के संबंध में या अन्यथा लाभ उठाया जाता है। नियोक्ता को समय-समय पर ऐसे कामगारों से संबंधित संविदाकार द्वारा रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और जब भी नियोक्ता द्वारा अपेक्षित हो, संविदाकार को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे, जिन्हें नियोक्ता निरीक्षण के लिए संविदाकार से मांग सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संविदाकार द्वारा ऐसे सभी कानूनों, विनियमों, नियमों आदि की आवश्यकताओं का संकलन किया गया है या नहीं। ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऐसे कानूनों, विनियमों, नियमों आदि के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, नियोक्ता को संविदाकार से ऐसा करने संबंधी मांग करने का अधिकार होगा।

22. यदि कार्य के निष्पादन के दौरान कोई दुर्घटना या मृत्यु होती है तो नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा और इश संबंध में संविदाकार मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा।

विवाद का निपटारा और मध्यस्थता

- I. संविदा और उसके अंतर्गत सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य (चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद), संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से संबंधित या उससे उत्पन्न सभी विवादों और मतभेदों को सीपीसीबी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त तीन लोगों के मध्यस्थ दल को भेजा जाएगा। मध्यस्थ अपने बीच से एक निर्णायक का चुनाव करेंगे। मध्यस्थों द्वारा विरोधाभासी निष्कर्षों के मामले में, निर्णायक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर यह आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी हैं और उनका बोर्ड या संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित है। सभी मामलों में, मध्यस्थ अपना निर्णय लिखित रूप में बताएंगे और यदि विवाद में दावों की राशि 50,000/- रुपये और उससे अधिक है, तो मध्यस्थ निविदा प्रदान करने के लिए कारण बताएंगे।
जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, मध्यस्थता निरस्तीकरण अधिनियम या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए तथा वर्तमान में लागू नियम इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।
- II. संविदा में यह शर्त है कि मध्यस्थता में शामिल पक्षकार इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थ को संदर्भित किए जाने वाले विवाद या विवाद को प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों के साथ विनिर्दिष्ट करेगा।
- III. संविदा में यह भी शर्त है कि यदि संविदाकार सीपीसीबी से यह सूचना प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर लिखित रूप में किसी भी दावे के संबंध में मध्यस्थता की कोई मांग नहीं करता है कि अंतिम बिल भुगतान के लिए तैयार है, तो संविदाकार का दावा माफ कर दिया गया और पूर्ण रूप से वर्जित माना जाएगा और बोर्ड को इन दावों के संबंध में संविदा के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।
- IV. मानक प्रतिकूल कार्य के लिए दरों के संबंध में कटौती की मात्रा और उसके औचित्य के बारे में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा। बशर्ते कि शत्रुता या युद्ध जैसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा (क) जब तक कि संविदाकार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसी सभी सावधानियां नहीं बरती हों, जिन्हें ए.आर.पी. अधिकारियों या प्रभारी इंजीनियरों द्वारा आवश्यक समझा जाए, (ख) किसी भी सामग्री आदि के लिए, जो कार्य-स्थल पर नहीं है या किसी भी उपकरण और संयंत्र, मशीनरी, मचान अस्थायी भवनों और अन्य चीजों के लिए जो काम के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

यदि संविदाकार को पूर्वोक्त रूप से पुनर्निर्माण करना पड़ता है, तो उसे इसके पूरा करने के लिए समय का विस्तार किया जाएगा, जिसे नियोक्ता के लिए समुचित माना जाए तथा नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुअनुपालन करना होगा, तथा यदि संविदाकार नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसा अनुपालन नहीं कर पाता है, तो नियोक्ता अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदाकार को देय राशि में से किसी भी ऐसे कानून, विनियमन या नियम के तहत कामगारों को देय राशि को रोकने तथा उसका भुगतान कामगारों को करने का हकदार होगा। नियोक्ता को उस स्थिति में संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने तथा समाप्ति के परिणामस्वरूप संविदा के तहत अपने नियोक्ता के लिए आरक्षित शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार होगा।

सीपीसीबी

संविदाकार/बोलीदाता

साक्षी

1.

2.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | प्रारंभ की तिथि | निविदा प्रदान पत्र जारी होने की तारीख से 10वें दिन। |
| 2. | पूर्ण होने की तिथि | प्रारंभ की तारीख से 30 दिन। |
| 3. | बीमा | यथा निर्देशित |
| 4. | परिसमापन क्षति | प्रति सप्ताह संविदा मूल्य का 1%, जो संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यक्षीन होगा। |
| 5. | अंतिम मापण अवधि | पूरा होने की तारीख से 01 महीने के भीतर। |
| 6. | अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य | कार्य के संतोषजनक समापन के बाद 100% |
| 7. | प्रतिभूति जमा | निष्पादन गारंटी के रूप में संविदा राशि का 5% |
| 8. | त्रुटि देयता अवधि | एक वर्ष |

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के निर्देशः:

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियाँ ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता करने हेतु हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी अधिक सूचना निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

पंजीकरण

- i. बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है, जो निःशुल्क है।
- ii. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चयन करना होगा और अपने खातों के लिए पासवर्ड विनिर्दिष्ट करना होगा।
- iii. बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी पत्राचार के लिए किया जाएगा।
- iv. नामांकन के समय, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे सिफी/एनकोड/ईमुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करना आवश्यक होगा।
- v. किसी बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने डी.एस.सी. दूसरों को उधार न दें, जिससे उनका दुरुपयोग हो सकता है।
- vi. बोलीदाता इसके बाद अपने यूजर आईडी/पासवर्ड और डी.एस.सी./ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से कार्य-स्थल पर लॉग इन करेंगे।

निविदा दस्तावेजों की खोज

- 1) बोलीदाताओं को कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं को खोजने में सुविधा प्रदान करने के लिए सीपीपी पोर्टल में कई खोज विकल्प बनाए गए हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करने के लिए संगठन का नाम, निविदा का प्रारूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि जैसे कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं।
- 2) एक बार बोलीदाताओं ने जिन निविदाओं में अपनी रुचि दिखाई है, उन्हें चुनने के बाद, वे आवश्यक दस्तावेज़/निविदा अनुसूचियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर्स' फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। यदि निविदा दस्तावेज़ में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम होगा।
- 3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए सौंपी गई अद्वितीय निविदा आईडी को नोट करना चाहिए, यदि वे हेल्पडेस्क से या कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

बोलियों की तैयारी

- 1) बोलीदाता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ के लिए प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- 2) बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें। कृपया ध्यान दें कि कितने लिफाफे में बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, कितने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं -जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज़ के नाम और सामग्री शामिल है। इनमें से किसी भी तरह के उल्लंघन के कारण बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 3) बोलीदाता को पहले से ही निविदा दस्तावेज़/अनुसूची में बताए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज़ तैयार कर लेने चाहिए और आम तौर पर, वे पीडीएफ प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेज़ों को 100 डीपीआई के साथ ब्लैक एंड ह्वाइट विकल्प में स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में मदद करता है।
- 4) प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेज़ों के एक ही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेज़ों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक प्रमाणपत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान प्रदान

किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए अपने पास उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है और उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

बोलियां प्रस्तुत करना

- 1) बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए पहले से ही साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अपलोड कर सकें, अर्थात् बोली जमा करने के समय या उससे पहले। अन्य मुद्दों के कारण होने वाली किसी भी विलम्ब के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर एक-एक करके डिजिटल हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा।
- 3) बोलीदाता को निविदा शुल्क/बयाना राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ़लाइन" के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत का विवरण दर्ज करना होगा।
- 4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी चाहिए। मूल प्रति को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट अनुसार संबंधित अधिकारी को डाक/कूरियर/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीडी/किसी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण, वास्तविक रूप से भेजा गया, स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए आंकड़ों से मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उन्हें अपनी वित्तीय बोलियाँ अनिवार्य रूप से दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करनी चाहिए तथा यह कोई अन्य प्रारूप में स्वीकार्य नहीं होगा। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू प्रारूप के रूप में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करके सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करके उसे खोलना होगा तथा अपने संबंधित वित्तीय उद्धरणों और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ सफ़ेद रंग के (असुरक्षित) प्रकोष्ठों को पूरा करना होगा। अन्य प्रकोष्ठों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। विवरण पूर्ण हो जाने के पश्चात, बोलीदाता को इसे सहेजकर फ़ाइल नाम बदले बिना ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा बीओक्यू फ़ाइल में कोई परिवर्तन पाया जाता है, तो बोली निरस्त कर दी जाएगी।

- 6) सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) बोलीदाताओं द्वारा बोलियाँ प्रस्तुत करने, बोलियाँ खोलने आदि की समय-सीमाओं को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।
- 7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए आंकड़ों को बोली खुलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। बोलियों की गोपनीयता सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज प्रणाली द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अध्यक्षीन कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वालों की सार्वजनिक कुंजियों का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अध्यक्षीन होता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य होते हैं।
- 8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य होते हैं।
- 9) बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुत करने पर (अर्थात् पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुतिकरण संदेश देगा और बोली संख्या और बोली जमा करने की तारीख और समय के साथ अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों सहित बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा। बोली सारांश को प्रिंट करके बोली जमा करने की पावती के रूप में रखना होगा।
- 10) इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने वाली मीटिंग के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

- 1) निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे के निविदा आमंत्रण प्राधिकरण को दिनांक 17.03.2025 को सांय 05:00 बजे तक 020-2991 2773 पर फोन कर सकते हैं या rdpune.cpcb@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
- 2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित जानकारी को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क से प्राप्त किया जा सकता है।
